कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
अलीगढ

दिनांक:– 03-10-2013

पत्रांक 3321/9C

सेवा में,

जिला रोड साइड लैंड कन्ट्रोल अधिकारी
अलीगढ।

विषय:- प्रार्थी पत्र वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक इन्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा अलीगढ राया मथुरा मार्ग के किमी0 5.00 के चैनेज 4.901 पर दायें ओर ग्राम दौलताबाद में प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका पत्रांक 524 / एल.ए.सी / रो0सा0लै0क0ए0 दिनांक 04.07.2013 एवं मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा के पत्रांक 12763 / 116सी–आ0क्षे0 / 13 दिनांक 25.09.2013 तथा अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ के पृ0 अंकन सं0 4135 / 4सी (ख)–अ0वृ0 / 13 दिनांक 30.09.2013

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में आप द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है --

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र यू0पी0 रोड साइड लैंड कन्ट्रोल एक्ट– 1945 के अनुसार बनाया गया है।
2. प्रार्थी ने निर्माण कार्य जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बगैर प्रारम्भ नहीं किया है।
3. प्रार्थी के विरुद्ध उ0प्र0 रो0सा0लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट–1945 की धारा– 13(1)13(2) के अन्तर्गत कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल टाउन एरिया / नोटीफाइड एरिया / नगर पालिका की सीमा से बाहर है।
5. प्रस्तावित निर्माण स्थल सड़क का वर्गीकरण (कैटेगरी ऑफ रोड) राज्य मार्ग सं0 80 है।
6. प्रस्तावित स्थल अरबन एवं औद्योगिक क्षेत्र नहीं है।
7. प्रस्तावित स्थल ऑपिन एग्रीकल्चर लैण्ड है।
8. प्रार्थी को प्रस्तावित स्थल पर नवीन निर्माण के अनुमति दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है एवं निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

(क) आवेदक को प्रयोग के इस्तेमाल के पानी का बहाव एवं सड़क के बरसाती आदि का बहाव इस प्रकार करना होगा कि जो विभागीय भूमि की अन्तिम सीमा 75'.00" फीट पर बनी रोड साइड ड्रेन में बिना किसी अवरोध के सीधे जायेगा। रोड साइड ड्रेन को किसी भी दशा में बन्द नहीं किया जायेगा।

(ख) आवेदक द्वारा सड़क मध्य से 75'.00" फीट अन्दर किसी भी प्रकार का छज्जा अथवा प्रोजेक्शन आदि नहीं निकाला जायेगा और न ही 75'.00" फीट के अन्दर विभागीय भूमि पर किसी प्रकार का स्थायी / अस्थाई अनाधिकार अवैध कब्जा आवेदक द्वारा नहीं किया

राजीव टन्डन
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड
एन०एच० 24 पोस्ट पाकबाड़ा, मुरादाबाद

क्रमशः 2

जायेगा।

(ग) आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार से यातायात के संचालन से अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।

(घ) आवेदक को प्रस्तावित निर्माण की अनुमति मिलने के एक माह के अन्दर विभाग से पुलिया एवं पहुँच मार्ग आदि के लिये अलग से लीज एग्रीमेन्ट कराना होगा, जो समय–समय पर निर्धारित अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण कराना होगा।

(ड़) भूमि सम्बन्धी एवं अन्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर दी गयी अनुमति मान्य नहीं होगी। अतः अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

(च) किसी विवाद के मामले उत्पन्न होने पर विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय होगा जो आवेदक एवं अन्य सभी को मान्य होगा।

(छ) सरकारी किसी भी योजना के लागू होने पर दी गयी अनुमति मान्य नहीं होगी। अतः अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

(ज) आवेदक द्वारा भविष्य में स्वीकृत मानचित्र के निर्माण में किसी भी प्रकार की रद्दोबदल की जाती है तो उसकी अनुमति उपरोक्त शर्तों का उल्लेख करते हुये पुनः अलग से लेनी होगी।

नोट – सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, किसी भी शर्त के पालन न करने पर दी गई अनुमति मान्य नहीं होगी। अतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नक–

1. मानचित्र दो प्रतियों में।
2. चैक लिस्ट एवं एफीडेविट एवं एग्रीमेन्ट की दो फोटो प्रतियां सहित।

(देवेश कुमार तिवारी)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
अलीगढ़

पत्रांक /

दिनांकः–

प्रतिलिपि–

1. अवर अभियन्ता(प्रा0) को मानचित्र की एक प्रति एवं अन्य अभिलेख सहित सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0,
अलीगढ़

राजीव टन्डन
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड
एन०एच० 24 पोस्ट पाकबाड़ा, मुरादाबाद